	(ख) सार्वजनिक सड़क अथवा नदी, तालाबों, टैंक, कुँआ अथवा अन्य स्थानों पर किसी भी नाले अथवा परिसर से जल की निकासी पर प्रतिबन्ध अथवा नियंत्रण ; (ग) सार्वजनिक सड़क की क्षति की रोकथाम; (घ) क्षेत्र अथवा गाँव में स्वच्छता, मल निकासी तथा नालों का नियंत्रण; (ङ) दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबन्ध अथवा नियंत्रण; और (च) अनुरक्षित और उपयोग किए जाने वाले टैंकों, तालाबों और उप पुल, चरागाह भूमि, खेल मैदानों, खाद के गढ्ढों, शवों का निपटान करने वाले भूमि और स्नान स्थलों को नियंत्रित करने की पद्धति ।	
	(2) उप धारा (1) के तहत बनाए गए कोई भी उप नियम में प्रबन्ध होगा कि किसी भी तरह का उल्लंघन जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा जो कि रु.1000/– (रुपए एक हजार मात्र) तक होगा और किसी उल्लंघन के जारी रहने के मामले में जुर्माना लगाया जाएगा जो उल्लंघन जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए रु.100/– (रुपय सौ मात्र) तक होगा ।	
	112. इस विनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम इसे बनाए जाने के तुरन्त बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा जब सदन का सत्र कुल तीस दिनों की समयावधी में हो जो कि एक ही सत्र का अथवा दो अथवा इससे अधिक के लगातर सत्रों में होगा तथा यदि सत्र अथवा लगातर सत्र जारी रहने के तुरन्त बाद ही सत्र की समाप्ति से पहले उपर्युक्त दोनों सदन नियम अथवा उप विधि में कोई परिवर्तन करने पर सहमत होतें है अथवा दोनों सदन सहमत होते है कि नियम अथवा उप–विधि नहीं बनाई जानी चाहिए, तब परिवर्तित रूप में ही यह नियम अथवा अप विधि लागू होगी अथवा लागू नहीं होगी; जैसा भी मामला हो, अतः ऐसे किसी परिवर्तन अथवा बातिलीकरण उस नियम के तहत पूर्वोत्तर किए गए किसी भी कार्यों की वैधता बिना पूर्वधारणा का होगा ।	सदन के समक्ष नियमों का प्रस्तुतीकरण
	113. जहाँ कहीं भी जनजातीय परिषद विनियम के प्रावधान अण्डमान तथा निकाबार द्वीपसमूह (आदिम जनजाति सरंक्षण) विनियम; 1956 के प्रावधानों के साथ विरोध होने पर पश्चात्‌कथित प्रभावी रहेगा ।	

*****